

अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना

विधानसभा निर्वाचन-2020 के लिये 1) स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री, 2) कम्प्यूटर सामग्री, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, प्रोजेक्टर, लाईव विडियो स्ट्रीमिंग एवं भाड़े पर कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर, टी0वी0, फैक्स मशीन, स्कैनर, यू0पी0एस0 एवं जी0पी0एस0 मशीन, 3) कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, सेनिटाईजर, पी0पी0ई0 किट, फेस शील्ड, Disposable Single hand glove एवं थर्मल स्कैनर 4) विडियोग्राफी, डिजिटल, फोटोग्राफी एवं 5) भोजन, नास्ता, चाय, आदि की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से अल्पकालीन पुर्ननिविदा दर निर्धारण हेतु अनुभवी एवं योग्य इच्छुक फर्मों से द्विलिफाफा पद्धति में मुहरबन्द निविदा दिनांक- 19.09.2020 के 03:00 बजे अप0 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक-18.09.2020 के अप0 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय, लखीसराय में 500 रुपया जमा कर खरीदा जा सकता है। सभी कार्यों के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय लखीसराय से क्रय किये गये विहित प्रपत्र में ही निविदा देना होगा अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगी। निविदा निर्धारित तिथि को अपराह्न 04:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। क्रय समिति के समक्ष निविदादाता स्वयं या पत्र प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते हैं। निविदा की निर्धारित तिथि को निविदा का निष्पादन नही होने की स्थिति में पुनः निविदा निष्पादन की तिथि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित की जायेगी।

1) स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री, 2) कम्प्यूटर सामग्री, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, प्रोजेक्टर, लाईव विडियो स्ट्रीमिंग एवं भाड़े पर कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर, टी0वी0, फैक्स मशीन, स्कैनर, यू0पी0एस0 एवं जी0पी0एस0 मशीन, 3) कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, सेनिटाईजर, पी0पी0ई0 किट, फेस शील्ड, Disposable Single hand glove एवं थर्मल स्कैनर 4) विडियोग्राफी, डिजिटल, फोटोग्राफी एवं 5) भोजन, नास्ता, चाय आदि हेतु सामान्य, तकनीकी एवं वित्तीय शर्त निम्नवत् है-

(क) सामान्य शर्तें

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग-अलग होना अनिवार्य है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही दी गयी निविदा मान्य होगी।
2. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग समर्पित किये जायेंगे एवं तकनीकी निविदा में Qualify होने के उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

3. निविदाकर्ता जिला निर्वाचन कार्यालय, लखीसराय के निर्वाचन नजारत से 500/- (पाँच सौ) रुपये का भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। सभी कार्यों के लिए निविदादाता को जिला निर्वाचन कार्यालय लखीसराय से क्रय किये गये विहित प्रपत्र में ही निविदा देना होगा अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगी।
4. चयनित फर्म को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा निर्धारित शर्तों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
5. वित्तीय या तकनीकी निविदा खुलने के उपरांत यदि उक्त निविदा अपूर्ण/बगैर हस्ताक्षर/बगैर मुहर के पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. आवश्यकतानुसार कार्यादेश का अवधि विस्तार एक/दो साल के लिये किया जा सकता है।

(ख) तकनीकी निविदा की शर्तें (1) स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री, 2) कम्प्यूटर सामग्री, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, प्रोजेक्टर, लाईव विडियो स्ट्रीमिंग एवं भाड़े पर कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर, टी0वी0, फैक्स मशीन, स्कैनर, यू0पी0एस0 एवं जी0पी0एस0 मशीन, 3) कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, सेनिटाईजर, पी0पी0ई0 किट, फेस शील्ड, Disposable Single hand glove एवं थर्मल स्कैनर (4) विडियोग्राफी, डिजिटल, फोटोग्राफी एवं 5) भोजन, नास्ता, चाय) :-

1. कंडिका 2 के क्रमांक 1 से 3 तक के निविदादाता फर्म को Bihar Shop & Establishment Act. के अन्तर्गत कम से कम पाच वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा एवं क्रमांक 4 तथा 5 के लिए निविदादाता फर्म को Bihar Shop & Establishment Act अन्तर्गत कम से कम दो वर्ष पूर्व से निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदा के विभिन्न मदों के लिए अग्रधन (जमानत) राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक (राष्ट्रीयकृत बैंक का), जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पदनाम से देय होगा, समर्पित करना आवश्यक है। विभिन्न मदों के लिए अग्रधन (जमानत) की राशि निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	मद	अग्रधन की राशि	Annual turn over
1	स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री	50,000/- (पचास हजार)	10,00,000/- (दस लाख)
2	कम्प्यूटर सामग्री, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, प्रोजेक्टर, लाईव विडियो स्ट्रीमिंग, बेवकारिस्टिंग एवं भाड़े पर कम्प्यूटर सेट, प्रिन्टर, टी0वी0, फैक्स मशीन, स्कैनर, यू0पी0एस0 एवं जी0पी0एस0 मशीन	50,000/- (पचास हजार)	10,00,000/- (दस लाख)
3	कोविड-19 (मास्क, सेनिटाईजर, पी0पी0ई0 किट, फेस शील्ड, Disposable Single hand glove एवं थर्मल स्कैनर)	50,000/- (पचास हजार)	10,00,000/- (दस लाख)
4	विडियोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी	10,000/- (दस हजार)	5,00,000/- (पाच लाख)
5	भोजन, नास्ता, चाय	10,000/- (दस हजार)	5,00,000/- (पाच लाख)

3. कंडिका 2 के क्रमांक 1 से 3 तक के सभी सफल निविदादाता को दो लाख रुपया का परफोरमेन्स बैंक गारंटी (performance bank guarantee) देना अनिवार्य होगा एवं क्रमांक 4 तथा 5 के लिए सभी

सफल निविदादाता को पचास हजार रूपया का परफोरमेन्स बैंक गारंटी (performance bank guarantee) देना अनिवार्य होगा।

4. कोविड-19 (मास्क, सेनिटाईजर, पी.पी.ई. किट आदि) हेतु जो दर न्यूनतम होगा, उक्त दर से बिहार चिकित्सा सेवाए एवम् आधारभूत संगरचना निगम लिमिटेड, पटना का दर यदि कम होगा, तो उसी दर (BMSICL का दर) पर निविदादाता को सामग्री आपूर्ति करनी होगी। यह उसी वक्त कय किया जायेगा जब इसकी आवश्यकता होगी।
5. फर्म का GST /आयकर निबंधित होना अनिवार्य है। 2018-19 का आयकर एवं GST भुगतान का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. कंडिका 2 के क्रमांक 1 से 3 के लिए वित्तीय वर्ष (2016-2017), (2017-2018), एवं (2018-2019) का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा जिसमें Annual turn over प्रदर्शित हो तथा क्रमांक 4 एवं 5 के लिए वित्तीय वर्ष (2018-2019) एवं (2019-20) का Audited Balance Sheet संलग्न करना होगा जिसमें Annual turn over प्रदर्शित हो।
7. किसी भी मद का दर GST सहित होगा जिसमें से 1% CGST, 1% SGST एवं 2.26% आयकर की अनिवार्यतः कटौती की जायेगी।
8. आवंटित कार्य की Sub Contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में Sub Contracting पाये जाने पर कार्यादेश वापस लेकर जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म पर कानूनी कारवाई की जायेगी।
9. निविदादाता फर्म को किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा Blacklisted नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
10. कंडिका 2 के क्रमांक 4 एवं 5 के निविदादाता फर्म को गत विधानसभा अथवा लोकसभा चुनाव में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।

(ग) वित्तीय निविदा

1. तकनीकी निविदा में दिए गए शर्तों का पालन करने वाले तकनीकी रूप से सफल फर्मों का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। वित्तीय निविदा में संबंधित सभी कार्यों का दर निर्धारित निविदा प्रपत्र में लिखना आवश्यक है।
2. चयनित फर्म को सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतान किए जाने वाले विपत्रों पर नियमानुसार GST एवं आयकर की कटौतियाँ कर ली जायेंगी।
3. बिहार वित्त नियमावली-2005 (Bihar Finance Rules-2005) के खंड-1 एवं खंड-11 (संशोधित) नियमावली के तहत ही सभी कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
4. किसी भी परिस्थिति में चेक एवं नाजिर रसीद के द्वारा प्रतिभूति राशि प्राप्त नहीं की जायेगी।
5. विडियोग्राफी, वेब-कास्टिंग, सी0सी0टी0वी0 एवं कम्प्यूटर सेट प्रिन्टर सहित निविदाकर्ता निविदा में जो दर देंगे वह सभी कर सहित होगा। विपत्र भुगतान के समय आयकर की कटौती अनिवार्यतः की जायेगी। जी0 एस0टी0 जमा करने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।


6. निविदा को स्वीकार करने एवं रद्द करने का अधिकार जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा। कार्यहित में कार्य एक से अधिक निविदाकर्ता को आवंटित किया जा सकता है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
7. निविदा की विस्तृत विवरणी www.lakhisarai.bih@nic.in पर देखा जा सकता है।

६/०

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, लखीसराय।

ज्ञापांक-701/निर्वा०, दिनांक-10-9-2020

- प्रतिलिपि :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना/आयुक्त के सचिव/उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाए।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा की सूचना अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- उप निर्वाचन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा की सूचना अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि जिला के वेबसाईट पर निविदा की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, लखीसराय।